न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–478/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–1315/2026
(CNR No: UPGZ010029422026)

आदित्य कुमार पुत्र अरुण कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी–म.नं.5/50 बी राजकिशोर पथ छोटी मछवा टोली दानापुर कैंट खगौल, जिला पटना, बिहार।

.............आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.......................विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–499/2025
धारा–303(3) बी०एन०एस०
थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद।

....

<u>13.03.2026</u>

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त आदित्य कुमार की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मंजूर अली ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा वर्षा चोपड़ा ने दिनांक 31.12.2025 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि उसने अपनी गाड़ी CRETA (रजि. नं.DL4CAX1924), रंग सफेद दिनांक 08.12.2025 की रात समय 11.00 बजे को घर के बाहर खड़ी की थी। दिनांक 09.12.2025 को सुबह 12.15 बजे पता चला कि उसकी गाड़ी किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस घर से उठाकर लायी थी और अवैध पैसों की मांग करने लगी। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त से जो बरामदगी दिखाई गयी है वह फर्जी दिखाई गई है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की गाड़ी उसके घर के बाहर से चोरी की गयी है। आवेदक/अभियुक्त से बरामदगी दर्शित की गयी है। जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये। प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.16 10:18:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7. अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी मुकदमा की क्रेटा गाड़ी उसके घर के सामने से चोरी करने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त चोरी से संबंधित बरामदगी होना कहा गया है, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 16.02.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है । तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आदित्य कुमार की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 13.03.2026